**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 907**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के उपाय**

**907. श्री सी॰ पी॰ नारायणनः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने मामलों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं और

(ग) हालांकि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तथापि केन्द्रीय सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की मंशा रखती है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का वितरण तथा बिक्री न हो?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्‍यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लिए गए खाद्य नमूनों, परीक्षित किए गए, निर्धारित मानकों के अनुसार न पाए गए और उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्‍लंघन के लिए की गई कार्रवाई संबंधी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से प्राप्‍त सूचना अनुलग्‍नक I,II और III में दी गई है।

(ख) बहु-राष्‍ट्रीय कंपनियों के संबंध में केन्‍द्रीय रूप से अलग से कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

(ग) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) विभिन्‍न खाद्यों के लिए मानक, उनके संघटक और खाद्य योज्‍य निर्धारित करता है और संबंधित राज्‍य इनका प्रवर्तन करते हैं। एफएसएसएआई, नियमित रूप से, विभिन्‍न पत्रों के माध्‍यम से और केन्‍द्रीय परामर्शी समिति की बैकों के दौरान विचार-विमर्श में, राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों के प्राधिकारियों के साथ एफएसएस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रवर्तन का मामला उठाता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

अनुलग्‍नक-।

|  |
| --- |
| **वर्ष 2012-13 के दौरान राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की वार्षिक प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट** |
| **क्र.** | **राज्य / संघ राज्‍य क्षेत्र के नाम**  | **विश्लेषित नमूनों की संख्या**  | **मिलावटी और मिसब्रांइडकिए गए नमूनों की संख्या** | **दायर किए सिविल आपराधिक मामलों की गई**  | **दोषी करार / शास्‍तियों की संख्‍या**  |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1511 | 429 | 286 | 55,000 रुपये |
| 2 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 133 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 198 | 1 1 | 1 1 | 2 / 3100 रुपये |
| 4 | असम | 306 | 58 | 31 | 16 / 2,45,000 रुपये  |
| 5 | बिहार | 1407 | 371 | 249 | 0 |
| 6 | चंडीगढ़ | 183 | 16 | 7 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 353 | 142 | 111 | 45 / 11,84,000 रुपये |
|    | दादरा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग | - | - | - | 0 |
| 9 | दमन और दीव (गुजरात) | 44 | 4 | - | 2 |
| 10 | दिल्ली | 1383 | 145 | 50 | 62 |
| 1 1 | गोवा | 610 | 31 | 14 | 1 / 20,000 रुपये |
| 12 | गुजरात | 11,047 | 881 | 46 | 7 / 97,500 रुपये |
| 13 | हरियाणा | 1562 | 255 | 131 | 0 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 274 | 44 | 53 | 24 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 2224 | 610 | 488 | 288 / 28,52,050 रुपये |
| 16 | झारखंड | - | - | - | 0 |
| 17 | कर्नाटक | 3118 | 172 | 29 | 85 |
| 18 | केरल | 12 | 3 | 0 | 1,63,280 रुपये |
| 19 | लक्षद्वीप | - | - | - | - |
| 20 | मध्य प्रदेश | 8101 | 2043 | 1183 | 844 |
| 21 | महाराष्ट्र | 7800 | 757 | 114 | 228 / 82,99,485 रुपये |
| 22 | मणिपुर | 165 | 2 | - | 0 |
| 23 | मेघालय | 14 | 1 | - | - |
| 24 | मिजोरम | - | - | - | - |
| 25 | नगालैंड | एनए | 0 | 0 | 0 |
| 26 | उड़ीसा | 1871 | 418 | 0 | 0 |
| 27 | पुदुच्‍चेरी  | - | - | - | - |
| 28 | पंजाब | 4782 | 553 | 304 | 92 |
| 29 | राजस्थान | 10,236 | 186 | - | 295 |
| 30 | सिक्किम | - | - |  | - |
| 31 | तमिलनाडु | 474 | 78 | 48 | 2 |
| 32 | त्रिपुरा | - | - | - | - |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 11,086 | 2927 | 2551 | 1010 / 3,70,96,600 रुपये |
| 34 | उत्तराखंड | 964 | 186 | 134 | 55 / 22,44,001 रुपये |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 91 | 41 | - | - |
|  | **कुल:** | **69,949** | **10,380** | **5,840** |  **3175 /24,95,016** रुपये |

**अनुलग्‍नक-II**

|  |
| --- |
| **वर्ष (2013-2014) के लिए वार्षिक लोक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट**  |
| **क्र.** | **राज्य / संघ राज्‍य प्रदेशों के नाम** | **नमूनों की कुल संख्या**  | **विश्‍लेषित किए गए नमूनों की संख्या**  | **मिलावटी और मिसंब्राइड पाए गए नमूनों की संख्या**  | **दायर मामलों की संख्‍या**  | **दोषी करार/ शास्‍ति दंडित की संख्‍या**  |
| **अपराधिक**  | **सिविर** | **दोषी करार** | **दंड/ राशि रुपए में**  |
|  | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 1 | 1 |  | शून्य | शून्य | शून्य | 18 / 14,500 रुपये  |
|  | आंध्र प्रदेश | 4038 | 4038 | 716 | 417 | 200 |  | 39/94,385 रुपये  |
|  | अरुणाचल प्रदेश | 213 | 213 | 9 | 1 | 8 |  | 9 / 6,33,000 रुपये |
|  | असम | 435 | 435 | 53 | 26 | शून्य | शून्य |
|  | बिहार | 1189 | 1103 | 121 | 19 | 71 | शून्य | 14 / 2,26,000 रुपये |
|  | चंडीगढ़ | 146 | 146 | 9 | 5 | 6 | शून्य | 3 |
|  | छत्तीसगढ़ | 294 | 294 | 112 |  | 56 | शून्य | 7 / 3,49,000 रुपये |
|  | दादरा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग | 6 | 6 | 3 | शून्य | 3 | शून्य | 3 / 35,000 रुपये |
|  | दमन और दीव | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | दिल्ली | 1187 | 1187 | 118 |  | 69 | एनए | 15,73,000 रुपये |
|  | गोवा | 704 | 696 | 37 | 6 | 7 | 2 | 27,000 रुपये |
|  | गुजरात | 11111 | 10,495 | 900 | 56 | 341 | 16 | 12 / 1,90,000 रुपये |
|  | हरियाणा | 2101 | 2101 | 293 | 37 | 223 | 37 | 129 / 26,61,800 रुपये |
|  | हिमाचल प्रदेश | 236 | 157 | 129 | 1 | 22 | 0 | 7 / 7,00,000 रुपये |
|  | जम्मू और कश्मीर | 3109 | 2851 | 682 | 15 | 526 | 353 | 2,76,600 रुपये |
|  | झारखंड | 1075 | 725 | 144 | 99 |  | 8 | 22,07,000 रुपये |
|  | कर्नाटक | 2224 | 2153 | 133 | 59 |  | 3 | 72 |
|  | केरल | 682 | 664 | 138 | 104 | 0 | 0 | 810 /55,35,000 रुपये |
|  | लक्षद्वीप |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मध्य प्रदेश | 4743 | 4599 | 1433 | 233 | 603 | 3 | 133 /29,32,000 रुपये |
|  | महाराष्ट्र | 7677 | 7516 | 1523 | 1172 | 1385 | 49 | 17 / 41,76,500 रुपये |
|  | मणिपुर |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मेघालय | 17 | 14 | 7 |  | 6 |  |  |
|  | मिजोरम | कोई प्रयोगशाला |  |  |  |  |  |  |
|  | नगालैंड | 66 | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | उड़ीसा |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पुदुच्चेरी | 4741 | 4741 | 319 |  |  |  |  |
|  | पंजाब | 6227 | 5884 | 771 | 203 |  | 3 | 77 |
|  | राजस्थान | 6375 | 6375 | 1160 |  | 436 |  | 112 / 15,50,000 रुपये |
|  | सिक्किम |  |  |  |  |  |  |  |
|  | तमिलनाडु | 707 | 658 | 261 | 8 | 40 | 16 | 6,59,800 रुपये |
|  | त्रिपुरा |  |  |  |  |  |  |  |
|  | उत्तर प्रदेश | 11,579 | 13,554 | 4275 | 2930 | 409 | 1510 /4,47,84, 400 रुपये |
|  | उत्तराखंड | 1503 | 851 | 169 | 5 | 117 |  | 5,06,489 रुपये |
|  | पश्चिम बंगाल |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **कुल:** | **72,994** | **72,200** | **13,571** | **3105** | **7130** | **913** | **2932 /****7,29,89,474** रुपये |

**अनुलगनक- III**

|  |
| --- |
| **वर्ष 2014-2015 के लिए वार्षिक लोक प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट** |
| **क्र.** | **राज्य / संघ राज्‍य प्रदेशों के नाम** | **नमूनों की कुल संख्या**  | **विश्‍लेषित किए गए नमूनों की संख्या**  | **मिलावटी और मिसंब्राइड पाए गए नमूनों की संख्या**  | **दायर मामलों की संख्‍या**  | **दोषी करार/ शास्‍ति दंडित की संख्‍या**  |
| **अपराधिक**  | **सिविर** | दोषी करार  | दंड/ राशि रूपए में  |
|  | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 /4,55,000 रुपये |
|  | आंध्र प्रदेश | 2788 | 2788 | 290 | 338 | 78 | 0 | 51,63,020 रुपये |
|  | अरुणाचल प्रदेश | 292 | 258 | 29 | 2 | 14 |  | 7 |
|  | असम \* | 327 | 327 | 37 | 12 |  | 4 | 70,000 रुपये |
|  | बिहार | 1763 | 1320 | 7 |  | 16 |  | 5 / 38,000 रुपये |
|  | चंडीगढ़ | 102 | 102 | 5 | 5 |  |  | 1,50,000 रुपये |
|  | छत्तीसगढ़ | 133 | 133 | 27 | 14 | 41 |  | 16 |
|  | दादरा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग | 9 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | दमन और दीव | 65 | 65 | 3 |  | 3 |  | 3 / 30,000 |
|  | दिल्ली |  | 1480 | 148 |  |  |  |  |
|  | गोवा | 798 | 800 | 81 | 1 | 4 | 4 | 4,35,000 रुपये |
|  | गुजरात \* | 5638 | 5471 | 522 | 41 | 47 | 26 | 20,93,500 रुपये |
|  | हरियाणा \* | 989 | 989 | 105 | 08 | 114 | 6 | 1,500 |
|  | हिमाचल प्रदेश \* | 218 | 132 | 31 | 24 | 28 | 25 | 22,93,000 रुपये |
|  | जम्मू-कश्मीर \* | 1397 | 1211 | 236 | 8 | 195 | 133 | 11,08,300 रुपये |
|  | झारखंड \* | 389 | 232 | 51 | 22 | 3 |  |  |
|  | कर्नाटक | 2154 | 2110 | 311 | 56 |  |  | 42 |
|  | केरल | 3085 | 2735 | 464 | 41 | 161 | 0 | 280 /72,39,700 रुपये |
|  | लक्षद्वीप |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मध्य प्रदेश | 9532 | 9131 | 1412 | 127 | 716 | 418 | 418 / 43,28,000 रुपये |
|  | महाराष्ट्र | 8663 | 6985 | 1162 | 869 | 1426 | 75 | 1,65,41,499 रुपये |
|  | मणिपुर |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मेघालय | 47 | 34 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 / 10,000 रुपए |
|  | मिजोरम |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नागालैंड | 83 | 83 | 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ओडिशा | 544 | 544 | 112 | 0 | 1 |  | 1 |
|  | पुडुचेरी \* | 972 | 972 | 30 |  | 1 |  |  |
|  | पंजाब \* | 4124 | 3949 | 577 | 220 |  | 161 | 24 |
|  | राजस्थान \* | 3132 | 3031 | 747 | 158 | 222 | 116 | 8,45,500 रुपये |
|  | सिक्किम |  |  |  |  |  |  |  |
|  | तमिलनाडु | 2939 | 2873 | 1047 | 64 | 486 | 203 | 34,99,700 रुपये |
|  | तेलंगाना | 393 | 357 | 37 |  | 87 |  | 51 / 17,57,100 रुपये |
|  | त्रिपुरा | 933 | 933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | उत्तर प्रदेश | 14,173 | 9605 | 4119 | 161 | 3489 | 186 | 1738 /5,98,08,106 रुपये |
|  | उत्तराखंड | 1971 | 1356 | 233 | 5 | 117 | 0 | 80 / 5,06,489 रुपये |
|  | पश्चिम बंगाल | 120 | 120 | 65 | 0 | 17 | 0 | ***1 / 30,000 रुपये*** |
|  | **कुल:** | **68,197** | **60,548** | **12,077** | **1989** | **7241** | **1355** | **2682 / 10,64,03,414** रुपये |

\*30/09/ 2014 तक का डाटा